संख्या-6/2017/32/55-पर्या-2017-268(पर्या) 2006 टी0सी0

प्रेषक,

श्री आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 29 मार्च, 2017

विषय-परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं की स्थापना और अनाधिकृत परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण स्थलों का उपचार हेतु राज्यांश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-23-10/2011-एच0एस0एम0डी0 दिनांक 21 दिसम्बर 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मै0 भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेण्ट लि0 द्वारा ग्राम-कुम्भी, तहसील-अकबरपुर, कानपुर देहात, उ0प्र0 में संचालित हैजार्डस वेस्ट सेक्योर लैण्डफिल साईट (SLF) हेतु तृतीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 47,00,000/- (रूपये सैंतालिस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.12.2016 में दी गई व्यवस्था के तहत प्रश्नगत योजना हेतु तृतीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत रू0 47.00 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746 /दस-2016-231 /2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में उल्लिखित शर्तों के अधीन राज्यांश के रूप में रू0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा आहरित करके एम0ओ0यू0 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार सीधे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायेंगे।

2- उक्त धनराशि का व्यय विवरण बोर्ड से प्राप्त कर शासन को दिनांक 31.03.2017 के पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

3- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस योजना हेतु उक्त धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी योजना में किया गया है।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त स्वीकृत हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-45 के लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथ पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-103-वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं की स्थापना और अनाधिकृत परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण स्थलों का उपचार-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि में से व्यय की जायेगी।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-6/2017/32(1)/55-पर्या-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।